समाहरणालय शेखपुरा
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
–: अल्पकालीन पुर्न निविदा :–

संभावित बाढ 2017 की अग्रिम तैयारी को मद्देनजर रखते हुए शेखपुरा जिला अंतर्गत बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरण के लिए राहत सामग्रियों की आपूर्त्ति/दर निर्धारण के लिए निबंधित इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठित/आपूर्तिकर्त्ताओं से निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग–अलग सीलबन्द तकनिकी एवं वित्तीय निविदा द्विलिफाफा पद्धति के अंतर्गत नीचे अंकित शर्तों के अधीन दिनांक 10.07.2017 के 3:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। उसी दिन निर्धारित समय–सीमा तक प्राप्त निविदा 4:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक साहाय्य सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	2	3	4	5
1	दियासलाई	मंझोला साईज	दर प्रति पैकेट (12) सं0	आवश्यकतानुसार
2	मोमबत्ती	उत्तम किस्म 8 ईंच लम्बाई एवं 12 मि0मी0 मोटाई का	दो अदद	आवश्यकतानुसार
3	चूड़ा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
4	गुड़	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
5	आयोडिन नमक	उत्तम किस्म	प्रति 500 ग्राम एवं प्रति एक किलो पैकेट	आवश्यकतानुसार
6	चना	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
7	आटा	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
8	चीनी	उत्तम किस्म (मोटा)	प्रति किलोग्राम/प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
9	सत्तु चना का	उत्तम किस्म	प्रति किलोग्राम/प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
10	प्लास्टिक थैला	5 किलो एवं 2.5 किलो 250 ग्राम (न्यूनतम 250 माईक्रोन मीटर)	प्रति सैकड़ा	आवश्यकतानुसार
11	चावल	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल	आवश्यकतानुसार
12	दाल (अरहर, चना, मुंग, मसूर)	उत्तम किस्म	प्रति किलो/प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
13	सरसों तेल	एगमार्क का	प्रति किलो ग्राम	आवश्यकतानुसार
14	मसाला–जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म	प्रति किलोग्राम (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
15	आलू/प्याज	उत्तम किस्म	प्रति क्वींटल (अलग–अलग)	आवश्यकतानुसार
16	सिनेटरी कीट	उत्तम किस्म	प्रति पीस	आवश्यकतानुसार
17	रबर बैण्ड	उत्तम किस्म	प्रति किलोग्राम	आवश्यकतानुसार
18	जेनरेटर भाड़े पर इंधन/ऑपरेटर सहित 5 के0 वी0, 10के0वी0	प्रति दिन 8 घंटा चलने के आधार पर राहत शिविर तक पहुँचाकर		आवश्यकतानुसार
19	सभी प्रकार के जेनरेटर से जलने वाले लाईट (भाडे पर/20W एवं उपर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार

20	पेट्रोमेक्स	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
21	वाटरप्रूफ टेन्ट/ पंडाल (भाड़े पर)	प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन के दर से मजदूर सहित		आवश्यकतानुसार
22	खाना बनाने/परोसने/पानी पिलाने का सभी प्रकार का बर्तन (भाड़े पर)	प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
23	जलावन की लकड़ी सुखी हुई	प्रति क्वींटल		आवश्यकतानुसार
24	खाना बनाने का गैस चुल्हा (भाड़े पर)	दो मुँह वाला प्रतिदिन		आवश्यकतानुसार
25	दरी सभी साईज का (भाड़े पर)	प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन के दर से		आवश्यकतानुसार
26	धोती	सूती उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
27	साड़ी	सूती उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
28	गंजी	सूती उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
29	लूगीं	सूती उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
30	गमछा	सूती उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
31	थाली (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
32	कटोरा (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
33	ग्लास (स्टील)	उत्तम किस्म	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
34	पम्पलेट	A4 Size	रंगीन प्रिंटिंग (फोटो एवं संवाद सहित) अग्र एवं पृष्ठ भाग प्लास्टिक कोटेड प्रिंट	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्त्तें :–

1. निबंधित फर्म/निविदादाताओं को ओदश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर आवश्यकतानुसार साहाय्य सामग्री जिला के अंतर्गत निदेशित स्थान पर पहुँचाना होगा। साहाय्य सामग्री जिला अंतर्गत निदेशित स्थान पर पहुँचाने के लिए निविदादाताओं को अलग से कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
2. प्रत्येक निविदादाता को 10,000=00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट समाहर्त्ता, शेखपुरा के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेखपुरा में भुगतेय निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बन्द लिफाफे में डालेंगे। तकनीकी निविदा मे सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. निविदादाता को निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण जो छः माह से अधिक का नहीं हो, संलग्न करना आवश्यक है।
5. निविदादाता को कहीं भी काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए ~~इस~~ इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ निविदाकर्त्ता को अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठित अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण पत्र, वैट निबंधन, आयकर निबंधन प्रमाण पत्र आदि की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा में दर सभी कर (आयकर, वैट, जी0एस0टी0, सेवाकर आदि सहित) अंकित रहना चाहिए।
8. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना निविदादाता लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वजन आदि की जाँच की जा सके।

9. स्वीकृति की गई निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के अन्दर नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकता के अनुसार शेखपुरा जिले के सभी अंचल मुख्यालय तक पहुँचायेंगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य चार्जेज देय नहीं होगा।

10. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

11. स्वीकृति किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की ससमय आपूर्ति नहीं किए जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे काली सूची में डाला जाएगा।

12. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामाग्री आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं से अनुमोदित दर पर सामग्री की आपूर्ति ली जा सकती है।

13. बिना कारण बताए निविदा रदद् करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला शेखपुरा के बेवसाईट http://sheikhpura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

ज्ञापांक 181/आ0प्र0 शेखपुरा, दिनांक 30-06-2017/

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, शेखपुरा जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेखपुरा जिला/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा/नजारत उप समाहर्त्ता, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निविदा की एक प्रति के साथ निदेश दिया जाता है कि निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रकाशित निविदा सूचना की प्रेस कतरन आपदा प्रबंधन शाखा, शेखपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, शेखपुरा/आई0टी0 मैनेजर, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को शेखपुरा जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, शेखपुरा/वाणिज्यकर उपायुक्त, लखीसराय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा/निरीक्षक, माप–तौल, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 07.06.2017 को अपराह्न 03:00 बजे आहूत बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निविदा की एक प्रति के साथ अनुरोध है कि अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार–प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ सर्मपित।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा